जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

331

Ref. No: BRLPS/Proj-Jobs/1079/17/1290 Date: 12.06.17

प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता परियोजना (SVEP) के तहत प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) हेतु दिशा निदेश

प्रयोजन एवं व्यापकता

प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता परियोजना (SVEP) का प्रयोजन गाँव के निर्धनों को उद्यम की स्थापना करने और उद्यम के स्थायित्व प्राप्त करने तक अपेक्षित सहयोग प्रदान करना है ताकि वे गरीबी से बाहर निकल सकें। अपेक्षित व्यापार कौशल प्राप्त करने हेतु उनके लिए आवश्यक होगा कि उन्हें पूर्व से स्थापित उद्यमों का परिभ्रमण (Exposure) कराया जाय तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों एवं परिसंघों की सहायता से शुरूआती छह महीने की मुश्किल अवधि में वित्त पोषण सहयोग दिया जाय। ऐसे कौशलों की जानकारी उन स्थानीय युवाओं द्वारा दी जाएगी - जिन्हें सूचना, संप्रेषण तकनीक एवं श्रव्य दृश्य माध्यमों की सहायता से प्रबंधन, अनुश्रवण एवं संपोषण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे स्थानीय संसाधन सेवी (उद्यमिता संवर्धन) (CRP-EP) उद्यमों को भी सहयोग प्रदान करेंगे। यह अपेक्षा की जाती है कि 2015-19 के लक्षित चार वर्षों की अवधि के प्रथम चरण में इस कार्यक्रम के तहत 6 प्रखण्डों (बोधगया, बाराचट्टी, मुसहरी, मुरौल, जनदाहा एवं धनरुआ) के 14400 ग्रामीण उद्यमियों का निर्माण कर उन्हें सुदृढ़ता प्रदान की जा सकेगी। इसके फलस्वरूप 29910 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्बंधित परिवारों को वित्त पोषण के अतिरिक्त अन्य लाभ प्राप्त होंगे। इसके द्वारा ग्रामीण व्यक्तियों - विशेषकर हासिए पर रहनेवाले वर्गों, महिलाओं अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय के लोगों में आत्म सम्मान एवं आत्म विश्वास की भावना आएगी - जिससे महत्त्वपूर्ण सामाजिक परिवर्त्तन हो सकेगा। इस तरह स्थानीय अर्थव्यवस्था में जानेवाले धन का तीव्रकारी प्रभाव होगा और कष्टदायक स्थिति में कमी आएगी; बहुविध उद्यमों में लगे लोगों द्वारा अधिक रोजगार सृजित किए जाएँगे एवं बाजार की स्थिति में बेहतरी आएगी। इससे सूचना, प्रेषण एवं तकनीक - सूचनायुक्त मनोरंजन जैसे नए युग के उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्वच्छता, पेयजल, पुनरुत्पादनीय (Renewable) उर्जा आदि क्षेत्रों में उद्यमिता का संवर्धन होगा। इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक अवसर मिलेंगे और लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकेगा।

स्वेप (SVEP) का उद्देश्य

समग्रत: इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों को ग्रामीण उद्यमिता की स्थापना एवं इसके संपोषण हेतु सहायता प्रदान करना है ताकि आर्थिक प्रगति के साथ निर्धनता और बेरोजगारी में कमी लाने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सार्थक परिणति तक लाया जा सके। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :-

क- एकीकृत सूचना, संप्रेषण तकनीक, प्रशिक्षण एवं क्षमता-संवर्धन का उपयोग करते हुए चरणबद्ध तरीके से ग्रमीण उद्यमिता संवर्धन के स्थायित्वपूर्ण नमूने का विकास करना, उन्हें उद्यमिता विषयक उचित परामर्श के अतिरिक्त बैंकों / स्वयं सहायता समूहों अथवा उनके परिसंघों से वित्तीय ऋण प्रदान करना।

ख- प्रशिक्षण के माध्यम से सामुदायिक संसाधन सेवी (उद्यमिता संवर्धन) (CRP-EP) नाम से ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक कर्मी के समूह का निर्माण करना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन एवं स्वयं सहायता समूह के परिसंघों का क्षमता संवर्धन करना ताकि वे सामुदायिक संसाधन सेवी (उद्यमिता संवर्धन) (CRP-EP) द्वारा किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण तथा निर्देशन कर सकें।

ग- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों / परिसंघों तथा मुद्रा बैंक सहित अन्य बैंकिंग प्रणाली से ग्रामीण उद्यमियों को वित्त प्राप्ति में सहायता दिलाना - ताकि वे उद्यमिता की शुरूआत कर सकें।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र

स्वेप (SVEP) के क्रियान्वयन के आधार के रूप में प्रखण्ड में उद्यमिता संवर्धन हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) की स्थापना की जाएगी। प्रखण्ड स्तर पर स्वेप के संपोषण हेतु प्रखण्ड संसाधन केन्द्र नाभिकीय स्थल (नोडल सेन्टर) के रूप में कार्य करेगा।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का आवासन एवं प्रबंधन NRLM के संस्थागत ढाँचे के अन्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ द्वारा किया जाएगा। जब तक प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ स्थापित नहीं होता, जीविका द्वारा यह दायित्व जीविका (BRLPS) द्वारा सौंपे गए नाभिकीय (Nodal) संकुल स्तरीय संघ अथवा नाभिकीय (Nodal) ग्राम संगठन (जहाँ अबतक CLF का गठन नहीं हो सका हो) को दिया जाएगा जो BRC के आवासन तथा प्रबंधन हेतु जिम्मेवार होगा और यह जीविकोपार्जन उप समिति के रूप में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के आवासन एवं प्रबंधन की व्यवस्था करेगा - किन्तु इसमें सभी संकुल स्तरीय संघों तथा जहाँ नाभिकीय (Nodal) ग्राम संगठन आवासन निकाय हो - वहाँ सभी ग्राम संगठनों का प्रतिनिधित्व रहेगा।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र वह भौतिक स्थल होगा - जहाँ कार्य सम्पादित होंगे और इसमें SVEP के तहत प्रशिक्षित एवं पद-प्रदत्त सभी सामुदायिक संसाधन सेवी (उद्यमिता संवर्धन) (ERP-EP) एवं सूक्ष्म उद्यमिता परामर्शी (MEC) सम्मिलित होंगे। प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कार्यभार - निजी तौर पर अथवा समूह के रूप में सम्बंधित संसाधन सेवी (उद्यमिता संवर्धन) को निजी तौर पर अथवा समूह के रूप में दिया जाएगा।

उपलब्ध सूचनाओं, समुपदेशन (Counselling) आवेदन के निष्पादन एवं दस्तावेजीकरण के माध्यम से उद्यमिता-संवर्धन के अतिरिक्त समुदाय की आवश्यकताओं तथा शिकायत निवारण हेतु एकल समाधान बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। प्रखण्ड संसाधन केन्द्रस्वयं को सामुदायिक संसाधन सेवी (उद्यमिता संवर्धन) (CRP-EP) बैंक मित्र, बैंकिंग करस्पेंडेन्ट, स्वयं सहायता समूह, समुदाय आधारित संगठनों के नेतागण तथा सदस्यों के पारस्परिक तथा वैसी अन्य नाभिकीय (Nodal) संगठनों के नेतागण, तथा वैसी अन्य संस्थाएँ जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करती हों तथा अन्ततः उद्यमियों के वार्तालाप स्थल के रूप में विकसित करेगा।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ की जीविकोपार्जन उप समिति रहेगी। स्वेप के तहत जीविकोपार्जन संवर्धन की दृष्टि से प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सेवा केन्द्र के रूप में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र SVEP के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाएगा। इसे अभिसरण सुसाधक यंत्र (Convergence provider mechanism) के रूप में विकसित किया जाएगा। नाभिकीय (नोडल) प्रखण्ड स्तरीय केन्द्र के रूप में यह प्रखण्ड में क्रियान्वयनाधीन योजनाओं के विषय में सूचनाओं का संग्रहण करेगा - साथ ही ऐसी योजना के वित्तीय अन्तराल (Financial Gap) का भी मूल्यांकन करेगा ताकि प्रखण्ड में उपलब्ध अन्य योजनाओं से इस अन्तराल को भरा जा सके। प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ / संकुल स्तरीय संघ और जहाँ संकुल स्तरीय संघ गठित न हो वहाँ नामजद नोडल ग्राम संगठन के साथ मिलकर CRP-EP, परामर्श प्रदायक (मेण्टर) तथा प्रखण्ड समन्वयक, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का गठन करेंगे - और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा SVEP दिशा निदेश के अनुरूप उद्यमिता के प्रोत्साहन एवं संपोषण हेतु प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ के कार्यकलापों का संपादन किया जाएगा और विभिन्न सरकारी विभागों अथवा प्रखण्ड की क्रियान्वयन इकाइयों के साथ सम्पर्क सहयोग हेतु पहल की जाएगी।

वैसे प्रखण्डों में जहाँ समुदाय में अनुसूचित जाति/जनजाति का बाहुल्य है, कुडुम्बश्री संकुल स्तरीय संघ के साथ राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय उन योजनाओं के लिए सम्पर्क सहयोग करेगा जो विशेषकर पिछड़े और हासिये पर रहनेवाल वर्गों के लिए बनाए गए हों।

प्रखण्ड समन्वयक एवं मेण्टर SVEP के प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक के साथ अनुसूचित जाति / जनजाति की उपयोजनाओं का फायदा दिलाने की दिशा में मिलकर कार्य करेंगे।

अन्ततोगत्वा प्रखण्ड संसाधन केन्द्र एक स्थायित्वपूर्ण राजस्व नमूने का स्वरूप धारण करेगा।

- अपने आदर्श स्वरूप में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ की जीविकोपार्जन उप समिति है - किन्तु वैसी जगहों में जहाँ प्रखण्ड स्तरीय परिसंघ गठित नहीं हैं - यह प्रखण्ड के अन्तर्गत सभी संकुल स्तरीय परिसंघों की जीविकोपार्जन समिति के रूप में कार्य करेगी। प्रारम्भिक स्थिति में (स्वेप परियोजना की अवधि हेतु) यह कुडुम्बश्री एवं जीविका के सहयोग से और प्रखण्ड संसाधन सेवी (उद्यमिता संवर्धन) की सेवा प्राप्त कर यह तकनीकी भूमिका का निर्वाह करेगा। प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का अपना कार्यालय, विद्युत एवं ब्रोड बैण्ड सुविधा से युक्त ऐसे केन्द्रीय स्थान पर अवस्थित होगा जहाँतक प्रखण्ड के सभी हिस्सों से पहुँच हो। प्रखण्ड के प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक द्वारा उपयुक्त कार्यालय स्थल प्राप्त करने की दिशा में नोडल संकुल स्तरीय संघ और / अथवा कुडुम्बश्री (राष्ट्रीय संसासधन संगठन) को समुचित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का प्रबंधन उक्त प्रखण्ड के सभी संकुल संघों / ग्राम संगठनों के प्रतिनिधियों से युक्त जीविकोपार्जन समिति द्वारा किया जाएगा।

- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का सामान्य निकाय : प्रतिनिधित्व : संकुल संघों के मनोनीत सदस्य - प्रति संकुल संघ से - 2 ।

- स्वेप की अनुमोदन समिति सक्षम उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों की आवधिक समीक्षा का आयोजन एवं उनका मूल्यांकन करेगी - और इसमें - स्वेप के प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, कुडुम्बश्री राष्ट्रीय संसाधन संगठन के प्रतिनिधि, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधक (आवश्यकतानुसार) और उद्यमिता संवर्धन के सामुदायिक संसाधन सेवी आमंत्रित सदस्य होंगे।

- BRC द्वारा सामुदायिक उद्यमिता निधि (CEF) आवेदनों को अनुमोदित करते हुए ऋण वितरण की अनुशंसा की जाएगी।

- नोडल संकुल संघ का वरीयतम प्रतिनिधि BRC का अध्यक्ष होगा / होगी।

<u>SVEP (स्वेप) में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के विशिष्ट लक्षण</u>

- समुचित -विधि सम्मत व्यवस्था के तहत नोडल सी०एल०एफ० - सहकारी समिति अथवा अन्य निकाय के रूप में निबंधित किया जाएगा।

326

- समुदाय आधारित संगठन नेताओं के अगले सोपान द्वारा सामान्य निकाय का गठन किया जाएगा और नोडल CLF की जीविकोपार्जन उप समितियों के मनोनीत / निर्वाचित नेताओं और BRLPS के नामजद पदधारकों को मिलाकर BRC का सामान्य निकाय गठित होगा।
- नोडल CLF की जीविकोपार्जन उपसमिति अनिवार्य है (प्रखण्ड के सभी समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों को मिलाकर)
- नोडल CLF को SVEP के सामुदायिक उद्यमिता कोष (CEF) के लिए अलग लेखा के अतिरिक्त व्यय करने के प्रयोजन से लेखा में अलग खाता होना चाहिए - ताकि CRP-EP जैसे सेवा प्रदायकों को भुगतान कर पदधारकों के यात्रा व्यय और बैठक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सके।
- BRC को अपनी आधारभूत संरचना तथा अलग कार्यालय होना चाहिए - ताकि वह दक्षतापूर्वक अपना कार्य कर सके।
- BRC की भूमिका प्रखण्ड के उद्यमों तथा उद्यमियों के सेवाकेन्द्र के रूप में होनी चाहिए।
- यह प्रखण्डों में लघु ग्रामीण उद्यमियों के सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।
- यह प्रखण्डों में लघु ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मूल्यांकन एवं अनुश्रवण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।
- यह लघु ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के उद्यमियों को सुदृढ़ व्यापार योजना बनाने, व्यापार का संचालन करने तथा CRP-EP की सेवाओं का दक्षतापूर्ण प्रबंधन करने में सहायता करेगा।

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच स्वरोजगार के प्रोत्साहन का दायित्व अन्ततः सामुदायिक संस्थाओं का है। तथापि वर्त्तमान संदर्भ में पहली पीढ़ी के उद्यमियों के सीमित व्यवसाय तर्क-ज्ञान का सम्पोषण करना समुदाय के सीमित तंत्र के लिए कठिन होगा। इस कमी को दूर करने हेतु समुदाय तंत्र - अपने CLF के माध्यम से BRLPS द्वारा सूचीबद्ध - CRP-EPs का निजी तौर पर अथवा समूह के रूप में उपयोग करेगा - ताकि BRC को तकनीकी सम्पोषण उपलब्ध हो सके। CRP-EPs व्यक्तिगत तौर पर अथवा समूह के रूप में स्वतंत्र इकाई हैं जो अपने राजस्व तथा फायदों के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा उनके परिवारों को उनसे शुल्क प्राप्त कर उद्यमिता विषयक सहयोग प्रदान करने हेतु संकुल स्तरीय संघ - सामुदायिक संसाधन सेवी - उद्यमिता संघ के

साथ निजी अथवा सामूहिक तौर पर इकरारनामा करेगा। इकरारनामा में प्रत्येक भागीदार की भूमिका एवं दायित्व तथा भुगतान विषयक शर्तों का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। इकरारनामा के प्रारूप को कुडुम्बश्री द्वारा BRLPS के साथ सम्पर्क कर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

प्रखण्ड स्तरीय संघ की अनुपस्थिति में, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र प्रखण्ड के किसी संकुल स्तरीय संघ की जीविकोपार्जन उप समिति के रूप में कार्य करेगा अथवा CLF के नहीं होने की स्थिति में यह दायित्व नोडल CLF/VO के रूप में नामित VO का होगा।

ऐसा नोडल CFL/VO भरसक प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित होगा। जबतक BLF का गठन नहीं होता तब तक यह नियंत्रक इकाई के रूप् में कार्य करेगा। नोडल CFL/VO में इतनी सक्षमता होनी चाहिए कि वह सामुदायिक उद्यमिता कोष (CEF) का संचालन कर सके। नोडल CFL/VO को स्वेप के अन्तर्गत CEF विषयक कोष के प्रबंधन की दिशा में राष्ट्रीय संसाधन संगठन कुडुम्बश्री - तथा CRP-EP के सहयोग से BRLPS की प्रखण्ड टीम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र - प्रथमतः नोडल CFL/VO के अवयवों की और बाद में BLF की जीविकोपार्जन उप समिति का प्रबंधन करने हेतु CRP-EPs की व्यक्तिगत अथवा समूह के तौर पर सेवाओं का उपयोग करेगा। यह प्रखण्ड स्तर पर उद्यमिता संवर्धन एवं संपोषण की एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। इसके कार्यकलाप सहज - संचालन हेतु एक प्रतिवेदक ढाँचा, प्रक्रिया एवं नियमावली का होना आवश्यक है ताकि सम्बंधित भागीदारों द्वारा प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

प्रत्येक उद्यमी के लिए - एक अलग व्यक्तिगत उद्यमी संचिका संधारित होगी जिसमें उद्यमी के प्रशिक्षण अभिलेखों की विवरणी, व्यापार योजना, ऋण आवेदन, ऋण-प्राप्ति सूचना, ऋण का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, मासिक लाभ हानि (P&L), शेष-विवरणी एवं नगद प्रवाह से होनेवाली लेन-देन का - MIS आधारित विवरण संधारित होगा और CRP-EPs द्वारा उलब्ध कराए गए सहयोग का मासिक प्रतिवेदन BRC स्तर पर समर्पित किया जाएगा। सभी स्तरों पर समुदाय आधारित संगठनों / CRP-EPs एवं उद्यमियों के सभी प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण अभिलेखों का संधारण किया जाएगा और अभिलेख में संधारण हेतु उसकी प्रतियाँ प्रखण्ड संसाधन केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगी।

<u>प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के प्रमुख कार्य कलाप</u> -

- उद्यमियों एवं समुदाय आधारित संगठनों का प्रशिक्षण एवं दक्षता संवर्धन
- उद्यमिता के संवर्धन हेतु जागरूकता अभियानों / कार्यशालाओं का आयोजन

324

- ज्ञान-प्रसारण (प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को विपणन, संसाधनों, निवेश-आपूर्तिकर्ताओं आदि के विषय में जानकारी होनी चाहिए।)
- आर्थिक संभाव्यता को सुनिश्चित करने हेतु उद्यमियों के पक्ष में व्यापार योजना तैयार करने में सहायता देना
- व्यापार योजना के मूल्यांकन और वित्त पोषण विषयक आवेदनों को समुदाय उद्यमिता कोष (CEF)/ बैंक तथा अन्य स्रोतों को भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ करना
- उद्यम के प्रारंभ करने हेतु सहायता प्रदान करना।
- विपणन, व्यापार-अग्रता (Market Leads) एवं संयोजन तथा व्यापार - संवर्धन सेवाएँ
- कार्य प्रारंभ करने के उपरान्त कम से कम छह माह तक व्यापार कार्य संपादन की सूचना प्राप्त करना तथा कार्यकलाप में बेहतरी हेतु सहयोग प्रदान करना।
- उद्यमियों तथा उद्यम का श्रेणी निर्धारण करना एवं वैसे कार्यकलाप जिनसे उनकी ऋण ग्राहिता क्षमता बेहतर हो सके
- CRP-EPs के कार्यकलाप, SVEP-CEF द्वारा ऋण वितरण, ऋण अदायगी के अनुश्रवण तथा संवर्धित उद्यमों के कार्यकलाप की समीक्षा हेतु बैठक करना
- उद्यमियों को शुल्क भुगतान के एवज में माँग आधारित अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराना
- उद्यमियों की वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय हेतु उन्हें विपणन संयोजन उपलब्ध कराना
- सरकारी सेवाओं तथा सामुदायिक सामाजिक दायित्व इत्यादि के साथ अभिसरण केन्द्र (Centre for convergence) के रूप में कार्य करना

<u>व्यापार संचालन विषयक मुद्दे</u>

प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों के संदर्भ में BRLPS द्वारा की जानेवाली व्यवस्था

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के संचालन की दिशा में निम्न व्यवस्थाएँ अपेक्षित होंगी

323

- BPM-SVEP का सहयोग प्राप्त कर यह सुनिश्चित करना कि नोडल सी०एल०एफ० की पहचान कर ली गयी है तथा स्वेप और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के संचालन विषयक अन्य संबंधित औपचारिकताएँ पूरी कर ली गयी हों।

- कुडुम्बश्री (राष्ट्रीय संसाधन संगठन) के सहयोग से यह सुनिश्चित् करना कि CRP-EP या CRP-EP समूह अनिवार्य प्रशिक्षण एवं एतद् विषयक प्रमाणन (certification) प्राप्त करने तथा प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) को तकनीकी सहयोग देने में सक्षम हैं।

- यह सुनिश्चित् करना कि CRP-EP द्वारा BRC को दी जा रही सेवाएँ - स्पष्ट रूप से अंकित हों और इससे सम्बंधित कार्य संचालन एवं व्यय मानक NRLM/ राज्य द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप हों।

- BPM-SVEP के सहयोग से यह सुनिश्चित् करना कि नोडल CLF का सूचीबद्ध CRP-EP के साथ निजी अथवा समूह के रूप में एकरारनामा हस्ताक्षरित हो जाय ताकि BRC को बाह्य संसाधन से तकनीकी सहयोग मिल सके। स्वेप के लिए निर्धारित कार्यदायित्वों के लिए कार्यभार के अनुरूप BRLPS द्वारा अनुमोदित भुगतान की स्पष्ट व्यवस्था हो। कार्यभार आधारित ऐसे भुगतान निजी CRP-EP अथवा उनके समूह को इस आधार पर किया जाएगा कि वे किस इकाई के रूप में कार्य सम्पादन कर रहे हैं।

प्रखण्ड संसाधन के संदर्भ में राष्ट्रीय संसाधन संगठन-कुडुम्बश्री द्वारा की जानेवाली व्यवस्था

- CRP-EPs (उद्यमिता संवर्धन सामुदायिक संसाधन सेवियों) की पहचान एवं उनके प्रशिक्षण में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को सहयोग प्रदान करना।

- राज्य स्तरीय प्रखण्ड संसाधन केन्द्र नीति बनाने में जीविका को सहयोग प्रदान करना।

- स्वेप क्रियान्वयन की औपचारिक शुरूआत होने के बाद सामुदायिक अधिप्राप्ति मानकों का अनुसरण करते हुए प्रखण्ड संसाधन केन्द्र हेतु उपस्कर स्थापित करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर जैसी अनिवार्य भौतिक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना।

- BPM-SVEP को नोडल समुदाय आधारित संगठनों के उन्मुखीकरण तथा CRP-EP के साथ (व्यक्तिगत या समूह के तौर) पर MoU सम्पादित करने में सहयोग प्रदान करना। सॉफ्टवेयर के उपयोग में स्वेप के सम्पोषण को लागू करने में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को सहयोग देना। स्वेप संपोषण में सॉफ्टवेयर के उपयोग के द्वारा उद्यमियों

की सामुदायिक उद्यमिता निधि (CEF) से ऋण-प्राप्ति की पात्रता एवं उनकी आय और ऋण-मूल्यांकन प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् उद्यमी एवं प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा इस सॉफ्टवेयर का उपयोग वित्तीय विवरणों की प्राप्ति तथा CRP-EPs को व्यक्तिगत या समूह के रूप में सलाह देने हेतु कर सकेगा।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के संदर्भ में प्रखंड स्तरीय संघ / ग्राम संगठन द्वारा की जानेवाली व्यवस्था

- उन सामुदायिक संसाधन सेवियों (उद्यमिता संवर्धन) की पहचान एवं उनके प्रशिक्षण में BRLPS को सहायता देना, जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जाना है।
- राज्य स्तरीय प्रखण्ड संसाधन केन्द्र विषयक-नीति को अन्तिम स्वरूप देने में BRLPS को सहयोग प्रदान करना
- SVEP क्रियान्वयन की औपचारिक शुरूआत के उपरान्त सामुदायिक अधिप्राप्ति मानकों का पालन करते हुए प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में उपस्कर एवं उसे स्थापित करने, सूचना प्रौद्योगिकी विषयक हार्डवेयर जैसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- नोडल सी०बी०ओ० (समुदाय आधारित संगठन) के उन्मुखीकरण एवं तकनीकी सहयोग हेतु CRP-EP के साथ निजी तौर या समूह के रूप में एकरारनामा क्रियान्वित करने में BPM-SVEP को सहयोग प्रदान करना।
- SVEP संपोषण सॉफ्टवेयर के उपयोग को लागू करने में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को सहयोग प्रदान करना, स्वेप संपोषण सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से प्रखण्ड संसाधन केन्द्र उद्यमियों की आय एवं CEF से ऋण-प्राप्ति हेतु उनकी पात्रता का मूमल्यांकन करेगा। तत्पाश्चात् उद्यमी एवं प्रखण्ड संसाधन केन्द्र इसका उपयोग व्यावसायिक लेन देन एवं अभिलेखों को आवधिक रूप से अद्यतन करने हेतु करेंगे। प्रखण्ड संसाधन केन्द्र सॉफ्टवेयर का उपयोग वित्तीय विवरण तैयार करने और CRP-EPs को (व्यक्तिगत अथवा समूह) के रूप में समुचित सलाह दे सकेगा।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के संदर्भ में प्रखण्ड संकुल परिसंघ / नोडल CBO द्वारा की जानेवाली व्यवस्था

- BPM-SVEP तथा कुडुम्बश्री - राष्ट्रीय संसाधन संगठन की सहयता से SVEP के समग्र प्रयोजन तथा BLF/Nodal CBO के रूप में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र संदर्भ में उनके द्वारा निभायी जानेवाली भूमिका को समझना।

- BPM-SVEP तथा कुडुम्बश्री-NRO का सहयोग प्राप्त कर BRC हेतु CRP-EP के साथ व्यक्तियों या समूह के रूप में उनको तकनीकी सहयोग की सेवा प्राप्त करने हेतु इकरारनामा करना।

- स्वेप मार्ग निदेश के अनुरूप प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को आवश्यक कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराना।

<u>प्रखण्ड संसाधन केन्द्र का विभिन्न भागीदारों के साथ सम्बंध</u>

BRLPS (जीविका) के साथ सम्बंध

क. **समुदाय आधारित संगठनों से सम्बंधन** - जीविका कुडुम्बश्री-राष्ट्रीय संसाधन संगठन तथा BPM-SVEP के माध्यम से समुदाय आधारित संगठनों के और CRP-EPs के व्यक्तिगत तौर पर या उनके समूह के मध्य जुड़ाव हेतु निम्नांकित गतिविधियों का संचालन करेगी :-

- नोडल CBO के कार्यकलाप से सम्बंधित आवश्यक पहलुओं के सम्बंध में CRP-EPs का उन्मुखीकरण
- अपने सामुदायिक संसाधन संवर्ग तथा संकुल स्तरीय संघ के साथ CRP-EPs का परिचय कराना
- CRP-EPs (निजी या समूह के तौर पर) और नोडल CBO के बीच इकरारनामा को अन्तिम रूप देना

ख. **अन्य अभिकरणों / संगठनों के साथ जुड़ाव** - BRLPS स्वेप के क्षेत्र में अन्य अभिकरणों, विभागों एवं योजनाओं के साथ परिचय कराकर BRC को सहयोग प्रदान करेगा। BRLPS द्वारा CRP-EPs (निजी तौर पर या समूह के रूप में) - और अन्य अभिकरणों के साथ सेवा-प्रदान की शर्तों को बातचीत के माध्यम से निर्धारित करने की दिशा में भी सहयोग देगा। BRLPS को छोड़कर अन्य अभिकरणों / विभागों को सेवा प्रदान करने की शर्तों के निर्धारण में CRP-EPs (निजी या समूह के तौर पर) को पूर्ण स्वायत्तता रहेगी। किन्तु अन्य को CRP-EPs द्वारा तभी सहयोग दिया जाएगा जब SVEP के कार्यकलाप की दिशा में दिए गए कार्य को उनके द्वारा पूराकर लिया जाय। यदि प्रखण्ड में CRP-EPs की संख्या उतनी ही है कि उनके पास स्वेप गतिविधियों को पूरा करने के उपरान्त कोई समय नहीं बचता, तब ऐसी व्यवस्था स्वेप परियोजना के दूसरे वर्ष में की जाएगी जब स्वेप विषयक सभी योजनाओं के कार्य समाप्ति की ओर होंगे।

320

ग. **अन्य सहयोग** - CRP-EPs (निजी या समूह के रूप में) को गुणवत्तापूर्ण एवं लाभ प्रदायी संचालन हेतु BRLPS द्वारा अनिवार्य एवं आवश्यकता - आधारित सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके अन्तर्गत CRP-EPs का क्षमता संवर्धन, अनिवार्य आधारभूत संरचना की व्यवस्था, वैधिक स्वीकृति प्राप्ति, बाजार - विकास जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित रहेंगी। ऐसी सहायता स्थिति की माँग के अनुरूप तथा अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगी। तथापि CRP-EPs अपनी ओर से अपना प्रमाणन कराएँगे तथा स्वेप के अन्तर्गत दिए गए कार्यभार का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा तथा गुणवत्ता के अनुरूप करेंगे। अगर वे ऐसा करने में बार-बार असफल रहेंगे - तो प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा उनके साथ किया गया करार / एकरारनामा रद्द किया जा सकता है।

घ. **लेखा - अंकेक्षण** - जहाँ भी CRP-EPs समूह गठित हो - वह अपने लेखा अभिलेखों संधारण वैसी वैधिक इकाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप करेगा जिसके लिए वह निबंधित है। यदि कोई विवाद अथवा शिकायत हो तो SRLM को अधिकार होगा कि CRP-EPs समूह के लेखा अभिलेखों की जाँच हेतु उनकी माँग कर सकेगा।

<u>भागीदारियों का दक्षता संवर्धन</u>

SVEP में तकनीकी सम्पोषण के नोडल-बिन्दु के रूप में सभी सम्बंधित भागीदारियों के संयुक्त प्रयास से ही BRLPS समुचित परिणाम प्राप्त कर सकता है। प्रारंभिक भागीदारों में, जिन्हें BRC के साथ निकटता के साथ कार्य करना है - CRP-EPs, Nodal CLF, अन्य CLF, ग्राम संगठन, समूह सम्मिलित हैं जो SVEP-क्रियान्वयन प्रखण्ड के अन्तर्गत हैं। इन सभी भागीदारों के संयुक्त प्रयास को SVEP क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त दक्षता संवर्धन की आवश्यकता होगी। BRC भागीदारों के क्षमता सम्वर्धन के मुख्य तत्व निम्नानुसार होंगे:-

क. **CRP-EPs का दक्षता सम्बवर्धन** - प्रखण्ड में SVEP क्रियान्वयन की दिशा में CRP-EP का क्षमता संवर्धन सुनिश्चित किया जाना पहला कदम होगा। BRLPS के सहयोग के साथ यह कुडुम्बश्री का दायित्व होगा कि NRLM द्वारा दिए गए दिशा-निदेश के अनुरूप CRP-EPs के उचित चयन, क्षमता-संवर्धन एवं प्रमाणन की दिशा में कार्य किया जाय। क्षमता-संवर्धन की 4-6 माह की अवधि में नोडल CLF के ओर से उन्हें पोषण-भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा।

ख. **नोडल - CLF/VO का क्षमता संवर्धन** - कुडुम्बश्री-राष्ट्रीय संसाधन संगठन द्वारा BRLPS के साथ सहयोग कर - Nodal CLF/VO के सदस्यों (खासकर BRC के कार्यकारिणी निकाय एवं सदस्यों का) क्षमता संवर्धन किया जाएगा - ताकि नोडल CLF/VO अपने दायित्वों का प्रभावी निष्पादन और व्यापार-योजना तथा उद्यमियों के साख-इतिहास का सही मूल्यांकन कर सकें। उन्हें SVEP के तहत सामुदायिक

उद्यमिता कोष के तहत निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुरूप ऋण वितरण एवं ऋण वापसी की प्रक्रिया के विषय में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बात की भी आवश्यकता है कि BRC के संदर्भ में प्रखण्ड में CRP-EPs की सेवा का उपयोग कर प्रखण्ड में उद्यमिता विकास - के तहत उनकी भूमिका के विषय में भी Nodal CLF/VO का उन्मुखीकरण किया जाय। कुडुम्बश्री अपने प्रतिनिधि मेण्टर के माध्यम से CRP-EPs को कार्य दायित्व देकर, उनको दिए गए कार्य की गुणवत्ता तथा समय-सीमा के अन्तर्गत उनके निष्पादन का अनुश्रवण कर तथा उनकी ऋण-स्थिति तथा सुदृढ़ता का प्रबंधन करने की दिशा में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को सहयोग प्रदान करेगा।

ग. **अन्य CLF/VO तथा स्वयं सहायता समूहों का क्षमता संवर्धन** - स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं तथा उनके परिवार, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र की संवाओं के प्रत्यक्ष प्राप्तिकर्त्ता होंगे और उन सेवाओं का यथा-साध्य सर्वोत्तम उपयोग करने का दायित्व भी उन्हीं पर होगा। इस प्रकार SVEP की सफलता को सुनिश्चित् करने का तत्काल दायित्व समुदाय तंत्र का होगा। उद्यमियों की पहचान, CEF को ऋण वापसी, CRP-EPs के कार्यों का अनुश्रवण तथा परियोजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के विषय में प्रतिवेदन समर्पित करने का दायित्व SHG/VO/CLF का होगा। समुदाय तंत्र को परियोजना के क्रियान्वयन मेंवे अपनी भूमिका से अवगत हो सकें, इसके लिए आवश्यक होगा कि SVEP के समग्र उद्देश्य एवं प्रयोजन, BRC तथा CRP-EPs की सेवा प्राप्त करने, CEF की ससमय ऋण वापसी तथा CRP-EPs के कार्यों का अनुश्रवण करने हेतु उनका उन्मुखीकरण किया जाय। समुदाय तंत्र के प्रशिक्षण का दायित्व कुडुम्बश्री-राष्ट्रीय संसाधन संगठन का होगा - जिसे वह BRLPS तथा इसके कर्मियों के सहयोग से पूरा करेगा। कुडुम्बश्री NRO का दायित्व होगा कि वह विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अंकित भौतिक लक्ष्यों को ससमय तथा प्राकलन के अनुरूप प्राप्त करे।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के कार्यकलाप

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के दायित्व निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा करना होगा -

समुदाय आधारित संगठनों तथा संभावनायुक्त (Potential) उद्यमियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण

- नये उद्यमियों का उन्मुखीकरण एवं पहचान - राष्ट्रीय संसाधन संगठन कुडुम्बश्री, CRP-EPs तथा BPM-SVEP उद्यमियों के उन्मुखीकरण एवं पहचान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। प्रखण्ड संसाधन केन्द्र उन्मुखीकरण बैठकों एवं आयोजनों के

318

माध्यम से स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता की अभिरुचि जागृत करेंगे। ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इसका अनुश्रवण करेंगे और वैसे सम्भावनायुक्त (Potential) उद्यमियों की सूची समर्पित करेंगे जो नये उद्यमों की स्थापना हेतु इच्छुक हों अथवा जिन्हें अपने वर्तमान उद्यमों के लिए सहयोग चाहिए।

संभावनायुक्त उद्यमियों का आवश्यकतानुसार उन्मुखीकरण (Mobilization) किया जाएगा तथा उन्हें कुछ बाजार सर्वेक्षण / व्यापार योजना से सम्बद्ध गतिविधियों का सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा जाएगा। जो इस सौंपे गए कार्य को सफलतापूर्वकर कर पाएँगे - उनका चयन आगे के प्रशिक्षण हेतु किया जाएगा।

- **नये उद्यमियों का प्रशिक्षण** - ऊपरवर्णित संभावनायुक्त उद्यमियों, चिह्नित किए गए प्रशिक्षण, कम्प्युटर कौशल प्रशिक्षण, प्रारंभिक व्यापार ज्ञान (अभिलेख संधारण सहित) इत्यादि प्रदान किया जाएगा। प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को यह सुनिश्चित् करना होगा कि उद्यमियों को आरसेटी जैसी कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बंधन द्वारा अपेक्षित विषयगत कौशल प्रशिक्षण मिल जाय और उन्हें अपने कार्यकलाप में बेहतरी लाने के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

- **व्यापार योजना (Business-plan) का निर्माण** - CRP-EPs (निजी अथवा समूह के तौर पर) संभावनायुक्त उद्यमियों को व्यापार योजना का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करेंगे। व्यापार योजना तैयार हो जाने के बाद उसे ऋण आवेदन के साथ स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के माध्यम से प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को समर्पित किया जाएगा।

- **व्यापार योजना एवं साख अनुमोदन** - व्यापार योजना की संतोषप्रद विधीक्षा (Vetting) के उपरान्त प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा उसे नोडल CBO की ऋण विमुक्ति समिति को समुदाय उद्यमिता निधि की विमुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाएगा। वित्तीय संस्थानों से सम्बंधित मामलों में - प्रखण्ड संसाधन केन्द्र CRP-EPs के माध्यम से ऋण आवेदन तैयार कर बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में उद्यमियों के पक्ष में ऋण विमुक्ति हेतु आवेदन समर्पित करेगा। स्वयं सहायता समूह तंत्र एवं प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से बैंक ऋण सामुदायिक उद्यमिता निधि से प्राप्त ऋण की वापसी का अनुश्रवण CLF/VO द्वारा किया जाएगा। यदि उद्यमी को सामुदायिक उद्यमिता निधि से 50,000 रूपये से अधिक ऋण स्वीकृति अपेक्षित हो - तो इस पर प्रखण्ड स्तर पर जिला परियोजना समन्वयन इकाई के प्रतिनिधित्व वाली बैंक समिति का अनुमोदन CLF द्वारा अनुमोदन के उपरान्त 1 से 3 दिन के अन्तर्गत तथा यदि

ऋण राशि एक लाख रूपये से अधिक हो तो इस पर जिला समिति का अनुमोदन, CLF द्वारा अनुमोदन के उपरान्त 7 दिन के किया जाएगा।

स्वेप का सहयोग (जुड़ाव)

व्यापार प्रारंभ करते समय महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में उद्यमियों को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र सहयोग करेगा। व्यापार प्रारंभ करते समय उद्यमियों को निम्नांकित सहयोग उपलब्ध कराए जाएँगे -

- व्यापार स्थल का निर्धारण
- कच्चेमाल के साधनों तथा बाजार की पहचान
- निश्चित् परिसम्पत्ति के क्रय हेतु दर एवं सम्पर्क की व्यवस्था में सहयोग
- कार्यशील पूंजी की योजना
- मानव संसाधन प्रबंधन
- तकनीक आधारित व्यापार प्रबंधन एवं व्यापर विश्लेषण सहयोग
- अपेक्षित वैधिक रूप से प्राधिकृत किए जाने हेतु आवेदन प्रपत्र भर कर समर्पित करना। वैधिक औपचारिकताओं का अनुपालन, निबंधन, अनुज्ञप्ति प्राप्ति इत्यादि।
- वैधिक अनुमति प्राप्त करने हेतु प्राधिकारियों से सम्पर्क

CRP-EP कार्य के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के उपरान्त उद्यमी को दी गई सेवा के एवज में उससे हस्ताक्षरित पत्र भुगतान विमुक्ति हेतु CLF/VO को समर्पित करेंगे।

CRP/EPs द्वारा व्यक्तिगत अथवा समूह के तौर पर प्राथमिक सहयोग (Handholding)

व्यापार प्रारंभ किए जाने के उपरान्त उद्यम के संचालन हेतु उद्यमी को CRP/EPs द्वारा निरंतर सहयोग प्रदान किया जाएगा। उद्यम के नियमित संचालन के दौरान निम्नांकित गतिविधियों में CRP/EP (निजी या समूह के तौर पर) के साथ मिल प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा :-

- आपूर्तिकर्त्ताओं तथा बाजार से सूचना एवं जुड़ाव
- निश्चित् परिसम्पत्ति की अधिप्राप्ति एवं संधारण
- मानव संसाधन प्रबंधन
- कार्यशील पूंजी व्यवस्था
- कार्य सम्पादन अनुश्रवण तथा लागत व्यय राशि के अनुरूप अधिकतम मूल्य निर्धारण जैसे सुधार
- तकनीक आधारित व्यापार प्रबंधन एवं व्यापार विश्लेषण सम्पोषण

316

- वैधिक अनुमति प्राप्त करने, निबंधन एवं वैधिक औपचारिकताओं के अनुपालन हेतु प्रपत्र भरकर जमा करना ताकि अपेक्षित वैधिक प्राधिकार प्राप्त हो सके।
- वैधिक अनुमति प्राप्त करने हेतु प्राधिकारियों से सम्पर्क

CLF/VO अथवा उद्यमी, CRP/EPs को (उनकी सेवाओं के एवज में) उन शर्तों के अनुरूप भुगतान करेंगे जिनपर पूर्व में सहमति बन चुकी हो।

<u>CRP/EPs को भुगतान</u>

- प्रत्येक 3-4 गाँवों के लिए एक CRP/EP होगा - ताकि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र पर तकनीकी सहयोग का बेहतर संचालन हो सके।

- CRP/EP का मासिक मूल्यांकन करने के उपरान्त प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा उन्हें पूर्व में हुई सहमति के आधार पर निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान सभी CRP/EPs के एकल समूह को अथवा उनके छोटे समूह को किया जाएगा और उनके द्वारा की गयी कमाई के सभी के बीच बँटवारा का प्रबंधन CRP/EPs द्वारा ही किया जाएगा। कर्तव्य आधारित दर-सूची का आकलन CRP/EPs भुगतान दिशा-निदेश के आधार पर किया जा सकता है।

- प्रखण्ड संसाधन केन्द्र CRP/EPs अथवा उनके समूह के साथ सेवा-एकरारनामा करेगा और ये CRP/EP प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के कर्मी नहीं होंगे और न वे प्रखण्ड संसाधन केन्द्र से किसी भुगतान के हकदार होंगे।

- जीविका से प्राप्त भुगतान के आधार पर CRP-EP को उनके द्वारा दिए गए सम्पोषण/सेवा के एवज में पोषण भत्ता (Subsistence Allowance) का भुगतान परियोजना अवधि में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा किया जाएगा।

<u>भुगतान हेतु निधि के स्रोत</u> :-

CRP-EP को भुगतान SVEP के तहत उपलब्ध करायी गयी परियोजना निधि तथा उद्यमियों को दिए गए CEP ऋण से प्राप्त होनेवाले ब्याज से उसी प्रकार किया जाएगा - जिस प्रकार बैंक अपने व्यापार Correspondents को ऋण वितरण तथा उनकी वापसी के एवज में भुगतान करता है।

सामुदायिक उद्यमिता कोष पर प्राप्त होने वाले ब्याज की उपयोगिता

- सामुदायिक उद्यमिता ऋण पर प्राप्त होनेवाले ब्याज का वितरण स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ तथा नोडल CLF के बीच क्रमश: 20:20:20:40 के अनुपात में होगा।

- नोडल CBO को ब्याज प्राप्ति से होनेवाली कमाई का उपयोग प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के संचालन में किया जाएगा। नोडल CLF से प्राप्त होनेवाले 40% ब्याज में से प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के संचालन में होनेवाले व्यय को काट कर शेष राशि Nodal CLF में रखी जाएगी। प्रखण्ड संसाधन केन्द्र पर होनेवाला व्यय, CEF कोष पर प्राप्त होनेवाली ब्याज की राशि तथा निर्धारित जमा (F.D.) से प्राप्त होनेवाले ब्याज से किया जाएगा।

- बैंक में सामुदायिक उद्यमिति निधि (CEF) के रूप में निर्धारित जमा पर प्राप्त होने वाले ब्याज में से कम से कम 70 प्रतिशत को CEF की मूल निधि में रखा जाएगा।

उद्यमियों द्वारा किया जानेवाला भुगतान :-

- स्वयं सहायता समूह तंत्र के बाहर उद्यमियों को दी गयी सेवाओं के एवज में, भुगतान उद्यमियों द्वारा ही किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण मुफ्त है - किन्तु BRLPS की BRC नीति के तहत सहमति के अनुरूप प्राथमिक सहयोग अवधि हेतु एक सांकेतिक राशि का भुगतान उनके द्वारा किया जाएगा। SVEP के अन्तर्गत यह अवधि 6 (छह) माह की है।

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को अथवा उसके द्वारा उपलब्ध कराये गए तकनीकी सहयोग के कार्यकलाप का अनुश्रवण

CRP/EPs द्वारा किये जा रहे कार्य का अनुश्रवण अनेक स्तरों पर किया जाएगा। अनुश्रवण का प्राथमिक दायित्व संकुल स्तरीय संघ का होगा।

नोडल CLF द्वारा

- नोडल CLF/VO द्वारा CRP/EPs के कार्यों का अनुश्रवण एकरारेनामे में अंकित भौतिक लक्ष्यों के आधार पर प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा।

- CRP/EPs या उनके समूह एकरारनामे के अनुरूप कार्य के विषय में नियमित (साप्ताहिक, दो सप्ताह में अथवा मासिक तौर पर) प्रतिवेदन - नोडल CFL/VO को समर्पित करेंगे।

314

- CRP/EP या उनके समूह को संगत भुगतान इकरारनामे में अंकित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर तथा BRLPS की CRP-EPs नीति की भुगतान शर्त्त के आधार पर किया जाएगा।

- विमर्श के दौरान न सिर्फ किये गए कार्य अथवा आने वाले महीनों के लिए कार्य योजना की समीक्षा की जाएगी वरन् इसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह सदस्यों या उनके परिवार को स्वरोजगार से सम्बंधित नये अवसर भी उस समीक्षा में सम्मिलित होंगे।

- कुडुम्बश्री-राष्ट्रीय संसाधन संगठन के ब्लॉक मेण्टर ब्लॉक एंकर पर्सन परियोजना अवधि में इस अनुश्रवण में समुदाय आधरित संगठनों को सहयोग देंगे। (वे प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से CRP/EPs के कार्यकलाप की माह में कम से कम एक बार समीक्षा करेंगे।)

<u>प्रखण्ड परियोजना क्रियान्यन इाकाई द्वारा</u>

- प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई SVEP के माध्यम से प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के कार्यकलपाप का निकटता से अनुश्रवण करेगी।

- CRP/EP उनके समूह नियमित (साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक) BPM-SVEP / नियमित प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक को नोडल CLF/VO के साथ हुए संविदा एकरारनामा के तहत किए गए कार्यों के विषय में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। यह प्रतिवेदन नोडल CLF/VO/BRC द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

- प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई BPM-SVEP, प्रखण्ड एंकर पर्सन तथा कुडुम्बश्री NRO के मेण्टर्स, BRC के तथा उसके सम्बद्ध CLF/VO के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र की मासिक समीक्षा की व्यवस्था करेंगे ताकि चलायी जा रही गतिविधियों का आकलन किया जा सके तथा उनका उपयोग SVEP लक्ष्यों की प्राप्ति की योजना बनाने हेतु किया जा सके।

<u>बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा</u>

- CRP/EPs द्वारा BPM-SVEP के माध्यम से एक समवेत गतिविधि विषयक प्रतिवेदन प्रत्येक माह जिला परियोजना समन्वयन इकाई को तथा प्रत्येक तीन माह में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को समर्पित किया जाएगा।

- DPCU/SPMU द्वारा संचालित अर्धवार्षिक बैठक में से इस पर विमर्श किया जाएगा और इसके अनुसार आनेवाले कार्यक्रम नयी योजनाओं में CRP/EPs के कार्यों की योजना बनाने तथा कार्य क्षेत्र में आनेवाले मुद्दों एवं समस्याओं पर विमर्श किया जाएगा।

कुडुम्बश्री- NRO द्वारा

- कुडुम्बश्री- NRO, Block Anchor Person एवं कुडुम्बश्री NRO के Mentors के साथ BRC तथा CRP-EP के कार्य की समीक्षा करेंगे
- कुडुम्बश्री- NRO, BPM-स्वेप एवं जिला परियोजना प्रबंधक के साथ परियोजना की मासिक कार्य की समीक्षा करेंगे
- कुडुम्बश्री- NRO, BPM-स्वेप, Block Anchor Person, कुडुम्बश्री NRO के Mentors तथा BRC तथा अन्य अवयवों CLF/VO के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा की व्यवस्था करेंगे ताकि गतिविधियों का आकलन कर SVEP लक्ष्यों के अनुरूप उद्यमिता सहयोग के विषय में कार्य योजना बनायी जा सके।

(या तो SVEP-संपोषण सॉफ्टवेयर के उपयोग के माध्यम से अथवा एक्सेल आधारित कार्यकलाप जाँच प्रणाली से) CRP/EPs के सहयोग से उद्यम विषयक कार्यकलाप के विषय में प्राप्त आँकड़े - के आधार पर उद्यम-सहयोग के संदर्भ में CRP/EPs के व्यापार-परिणाम का मूल्यांकन किया जाएगा।

समाधान एवं परिवाद-निवृत्ति

व्यवसाय-जगत में परस्पर संघर्ष अनिवारणीय है। फिर भी यह प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के हित में होगा कि इन परस्पर विरोधों का यथाशीघ्र समाधान कर लिया जाय। या तो व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के सभी CRP/EP के लिए अपने कार्य में निष्ठा के उच्चतम उदाहरण का आचरण करना आवश्यक होगा। वैसी हालत में जहाँ विवाद का मिलजुलकर सरल समाधान न हो सके, विवादों के समाधान हेतु विवाद समाधान-यांत्रिकता का होना अनिवार्य हो जाता है।

वैसे मामलों में जहाँ मुद्दों का आन्तरिक समाधान न हो सके विवाद-निवारण समिति सभी पक्षों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए परस्पर मान्य निर्णय की दिशा में बैठक करेगी। यदि समिति परस्पर मान्य निर्णय नहीं कर पाती, अन्तिम निर्णय जिला परियोजना प्रबंधक और कुछ मामलों में राज्य परियोजना प्रबंधक द्वारा लिया जाएगा। शिकायत या उसके निवारण

312

के संदर्भ में प्रतिवेदन परस्पर विरोधी पक्षों के हस्ताक्षर सहित जिला परियोजना समन्वयन इकाई को समर्पित किया जाएगा। निवारण यांत्रिकी निम्न प्रकार होगी :-

पक्ष-1	पक्ष-2	निवारण समिति	अन्तिम प्राधिकार
CRP/EP निजी या समूह के रूप में	CRP/EP निजी या समूह के रूप में	BRC के प्रतिनिधि BPM-SVEP	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
CRP/EP निजी या समूह के रूप में	उद्यमी	BRC के प्रतिनिधि, नोडल CBO के पदधारक	जिला परियोजना प्रबंधक
CRP/EP निजी या समूह के रूप में	प्रखण्ड संसाधन केन्द्र	BRC तथा नोडल CBO के प्रतिनिधि	BPM-SVEP
CRP/EP निजी या समूह के रूप में	प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई	CRP-EP (निजी/समूह) के प्रतिनिधि, BPM, DPM	जिला परियोजना प्रबंधक
CRP/EP निजी या समूह के रूप में	DPCU	CRP-EP (निजी समूह) के प्रतिनिधि BPM, BPM (स्वेप), DPM	राज्य परियोजना प्रबंधक

12/06/12

बालामुरुगन डी0

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

प्रतिलिपि:

१. PCs/ SPMs/ SFMs/ AFMs/ PMs

२. OSD/Director/PS/CFO/AO

३. All DPMs/ In charge DPMs/ All Thematic Managers

४. IT section/ Account Section

५. Concerned File